

प्रारूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की  
धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा

आशयित है अर्थात् :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल (हे0में)	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	तमनार	बिजना	1.506	लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण द्वारा बिजना से हमीरपुर मार्ग में कोलेडेगा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 27 जुलाई, 2021 को शाम 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन बिजना पर नियत की गई है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण:-
- (2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या:-
- (3) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या :-
- (4) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या :-
- (5) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या:-
- (6) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है-
- (7) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है:-
- (8) परियोजना की कुल लागत:-
- (9) परियोजना से होने वाला लाभ :-
- (10) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय:-
- (11) परियोजना द्वारा प्रभावित अन्य व्यय घटांक:-

कोलेडेगा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कराया जावेगा।

05

निरंक

37 वृक्ष

निरंक

हां

हां

495.11 लाख (कोलेडेगा नाला में पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण)

जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा  
( मूल्य लगभग 5,00,000-00 रूपये)

निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

( भोम सिंह )  
कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग.)